न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1400

1. गोकुल सिंह पुत्र हनुमान सिंह,
2. जगदीश सिंह पुत्र हनुमान सिंह,
3. शिंभू सिंह पुत्र हरि सिंह,
4. सुमेर सिंह पुत्र हरि सिंह,

समस्त 1 लगायत 4 जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, नवोडी की ढाणी, नया नगर, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. छोटी देवी पत्नी स्व. जयनारायण,
2. हणमान सिंह पुत्र स्व0 जयनारायण,
3. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 जयनारायण,
4. सन्तोष देवी पुत्री स्व. जयनारायण,

समस्त 1 लगायत 4 जाति जाट, निवासी–गोविन्दपुरा (नया नगर), तहसील नीम का थाना, जिला सीकर।

–रेस्पोडेन्ट्स

5. सुरजा पुत्र गणपत (मृतक) जरिये वारिसान

5/1. लक्ष्मी देवी पत्नी सुरजा राम, जाति जाट निवासी–गोविन्दपुरा (नया नगर) तहसील नीम का थाना, जिला सीकर।

5/2. भादर सिंह पुत्र सुरजा राम, जाति जाट, निवासी–गोविन्दपुरा (नया नगर) तहसील नीम का थाना, जिला सीकर।

5/3. पुष्पा देवी पुत्र सुरजा राम पत्नी रोहिताश, जाति जाट निवासी ढाणी बालावाली, तन दलेलपुरा, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनूं।

6. ग्यारसीलाल पुत्र केसराराम,
7. बाबूलाल पुत्र केसराराम,
8. भगत सिंह पुत्र केसराराम,
9. हिम्मत सिंह पुत्र केसराराम,
10. बालूराम पुत्र चुना,

समस्त 5 लगायत 10 जाति जाट, निवासी–गोविन्दपुरा (नया नगर), तहसील नीम का थाना, जिला सीकर।

11. तहसीलदार महोदय, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर।

–तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध जिला कलक्टर, नीम का थाना, हाल जिला सीकर निर्णय दिनांक 12.09.2024 जो अपील संख्या 122/2023 उनवानी छोटी देवी व अन्य बनाम सुरजा व अन्य जिसके द्वारा अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि के नामान्तरकरण संख्या 829 निर्णय दिनांक 12.11.1999 ग्राम गोविन्दपुरा (नया नगर), तहसील नीम का थाना, जिला सीकर, अपीलान्ट्स खातेदार को पक्षकार बनाये बिना ही विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1401

1. गोकुल सिंह पुत्र हनुमान सिंह
2. जगदीश सिंह पुत्र हनुमान सिंह,
3. शिंभू सिंह पुत्र हरि सिंह,
4. सुमेर सिंह पुत्र हरि सिंह,

समस्त 1 लगायत 4 जाति राजपूत, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, नवोडी की ढाणी, नया नगर, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. छोटी देवी पत्नी स्व. जयनारायण,
2. हणमान सिंह पुत्र स्व0 जयनारायण,
3. लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 जयनारायण,
4. सन्तोष देवी पुत्री स्व. जयनारायण,
समस्त 1 लगायत 4 जाति जाट, निवासी–गोविन्दपुरा (नया नगर), तहसील नीम का थाना, जिला सीकर।

–रेस्पोडेन्ट्स

5. सुरजा पुत्र गणपत (मृतक) जरिये वारिसान
5/1. लक्ष्मी देवी पत्नी सुरजा राम, जाति जाट निवासी–गोविन्दपुरा (नया नगर) तहसील नीम का थाना, जिला सीकर।
5/2. भादर सिंह पुत्र सुरजा राम, जाति जाट, निवासी–गोविन्दपुरा (नया नगर) तहसील नीम का थाना, जिला सीकर।
5/3. पुष्पा देवी पुत्र सुरजा राम पत्नी रोहिताश, जाति जाट निवासी ढाणी बालावाली, तन दलेलपुरा, तहसील खेतडी, जिला झुन्झुनूं।
6. ग्यारसीलाल पुत्र केसराराम,
7. बाबूलाल पुत्र केसराराम,
8. भगत सिंह पुत्र केसराराम,
9. हिम्मत सिंह पुत्र केसराराम,
10. बालूराम पुत्र चुना,
समस्त 5 लगायत 10 जाति जाट, निवासी–गोविन्दपुरा(नया नगर), तहसील नीम का थाना, जिला सीकर।
11. तहसीलदार महोदय, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर।

–तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) नीम का थाना, जिला सीकर निर्णय दिनांक 12.05.2025 जो प्रकरण संख्या 02/2023 उनवानी छोटी देवी व अन्य बनाम सुरजा व अन्य जिसके द्वारा अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि को रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :–
1. श्री प्रभूसिंह राजावत्, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री सूरजमल नैनीवाल, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 से 5/3 लेने से इन्कार करने बाद तामील अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 6 लगायत 10 बाद तामील अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांक – 27.10.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर नीम का थाना हाल जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.09.2024 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 27.05.2025 को प्रस्तुत की गयी एवं दूसरी अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू0अ0) नीम का थाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.05.2025 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीम का थाना हाल जिला सीकर के यहाँ एक अपील संख्या 122/2023 उनवानी छोटी देवी व अन्य बनाम सुरजा व अन्य नामान्तरकरण संख्यां 829 दिनांक 12.11.1999 ग्राम गोविन्दपुरा (नया नगर) द्वारा तहसीलदार नीम का थाना के विरूद्ध प्रस्तुत कर नामान्तरकरण संख्या 829 दिनांक 12.11.1999 ग्राम गोविन्दपुरा को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीम का थाना हाल जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.09.2024 द्वारा अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीम का थाना द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पारित आदेश नामान्तरकरण संख्या 829 दिनांक 12.11.1999 ग्राम गोविन्दपुरा को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीम का थाना को निर्णय की प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया गया कि अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान का गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) नीम का थाना, जिला सीकर ने जिला कलक्टर नीम का थाना हाल जिला सीकर के पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.09.2024 की पालना में प्रकरण दर्ज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.05.2025 द्वारा पटवारी हल्का गोविन्दपुरा को आदेश दिये गये कि ग्राम गोविन्दपुरा का नामान्तरकरण संख्या 829 दिनांक 12.11.1999 को अपास्त कराया जाकर, नामान्तरकरण संख्या 829 में दर्ज भूमि का नामान्तरकरण जमाबन्दी सम्वत 2021 से 2025 की जमाबन्दी अनुसार खातेदारों के नाम दर्ज कर फैसल कराने के आदेश पारित किये गये। चूँकि उपरोक्त दोनों अपीलों की विषयवस्तु, तथ्य एवं भूमि विवादग्रस्त एक ही होने के कारण उपरोक्त दोनों अपीलों की सुनवाई एक साथ की गई है एवं निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है। निर्णय दोनों पत्रालियों पर रखे जावें।

3. जिला कलक्टर नीम का थाना हाल जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.09.2024 एवं तहसीलदार (भू0अ0) नीम का थाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.05.2025 से व्यथित होकर गोकुल सिंह पुत्र हनुमान सिंह वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर नीम का थाना हाल जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.09.2024 एवं तहसीलदार (भू0अ0) नीम का थाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.05.2025 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि ग्राम नया नगर, पटवार हल्का गोविन्दपुरा, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र सिरोही, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर स्थित आराजी हाल खसरा संख्या 397 398, 399, 400, 415, 419, 420, कुल किता–7, कुल रकबा 5.11 हैक्टेयर अपीलांट्स की सहखातेदारी में दर्ज व अंकित चली आ रही है। उक्त भूमि पर अपीलांट्स व अन्य सहखातेदार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के पूर्व से ही वास्तविक व भौतिक रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 641, 642 643, 632, 633 कुल किता–5, कुल रकबा 19 बीघा 09 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 631 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा से हाल विवादित भूमि खसरा संख्या 414, 415, 419, 420, 398, 399 व 400 बने है। उक्त ग्राम की भूमि ग्रामदान की सन् 1964 में घोषित हुई थी। हाल रेस्पोंडेंट संख्या 1 लगायत 4 ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलैक्टर नीम का थाना, जिला सीकर के समक्ष दिनांक 17.01.2023 को नामान्तरकरण संख्या 829 निर्णय दिनांक 12.11.1999 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की, जिसमें वर्तमान अभिलिखित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किये बिना ही विधिक प्रावधानों के विपरित अपील प्रस्तुत कर दी। उक्त अपील नीम का थाना, जिला सृजित होने पर जिला कलेक्टर नीम का थाना के न्यायालय में प्रस्तुत होने पर जरिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.09.2024 को अपील स्वीकार कर नानान्तरकरण संख्या 829 निर्णय दिनांक 12.11.1999 को खारिज कर सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) नीमकाथाना को इस निर्देश के साथ प्रकरण को प्रतिप्रेषित रिमाण्ड किया कि अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उक्त प्रकरण जिला कलेक्टर नीम का थाना के आदेश दिनांक 12.09.2024 की पालना में न्यायालय तहसीलदार भू–अभिलेख नीम का थाना, जिला सीकर के समक्ष प्रकरण संख्या 02/2025 उनवानी छोटी देवी बनाम सुरजा देवी के नाम से दिनांक 04.112024 को दर्ज किया गया। जिसमें अपीलांटस वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार व वास्तविक व भौतिक रूप से काबिज काश्त होते हुए भी अभिलिखित खातेदारान् व अपीलांट्स को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाकर तहसीलदार महोदय ने भी सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पक्षकार बनाये बिना ही निर्णय दिनांक 12.09.2024 एवं 12.05.2025 पारित कर दिया गया। निर्णय योग्य विचारण न्यायालय अधीन अपील दिनांक 12.09.2024 एवं 12.05.2025 सही तथ्यों, रिकॉर्ड एवं न्यायशास्त्र के सिद्धान्तो के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण की विषय–वस्तु को सही अर्थों में समझे बिना कतई परवर्ष, आरबीट्रेरी एवं कान्ट्रैरी टू लॉ अपीलाधीन निर्णय पारित कर भयंकर कानूनी गलती की है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदारान् काश्तकारान् को सुनवाई का कोई ना तो अवसर प्रदान किया, ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना अभिलिखित खातेदारान् को किसी भी प्रकार से सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो गम्भीर कानूनी त्रुटि होकर प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। सुयोग्य विचारण न्यायालय को प्रकरण में निर्णय पारित करने से पूर्व प्रतिप्रेषित आदेश की पालना करते समय मौके व रिकार्ड की रिपोर्ट भी पटवारी व गिरदावर से तलब की जानी चाहिए थी। उक्त रिपोर्ट तलब किये बिना ही अर्थात् रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही विधिक प्रावधानों के विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया, जो निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय की वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स व अन्य खातेदारान् की सहखातेदारी की भूमि है। जिसपर खातेदारान् अपने हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही साधिकार काबिज काश्त चले आ रहे है। जिनके विधिक अधिकारों को नजर अंदाज कर मनमर्जीपूर्वक अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया होने से निरस्तनीय है। भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभिलिखित खातेदारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाने का आवश्यक प्रावधान है। जिसके विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा संख्या 642, 632, 633, 641, 643 कुल किता–5, कुल रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 397, 398, 399, 400, 415, 419, 420 कुल किता–7, कुल रकबा 5.11 हैक्टेयर के अपीलांट्स अभिलिखित खातेदार है तथा मौके पर वास्तविक व भौतिक रूप से अपने हिस्से अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही काबिज काश्त है। जिनको आवश्यक, उचित व प्रभावित पक्षकार होने के बावजूद भी विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर ना तो पक्षकार बनाया गया, ना ही सुनवाई का अवसर दिया गया। जिससे अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जानी न्यायहित में अति आवश्यक है। प्रश्नगत अपील में अंकित सुदृढ विधिक आधारों एवं सलग्न समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों से यह बखूबी प्रमाणित एवं जाहिर है कि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार/काबिज काश्तकार है, जिनको सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व साक्ष्य, सुनवाई एवं जवाबदेही तथा प्रतिरक्षा का अवसर प्रदान नहीं किया गया, जिससे प्रार्थीगण प्राकृतिक अधिकार से स्पष्टतः वंचित हुए है। इसलिये अपीलाधीन निर्णय से प्रार्थीगण प्रथम दृष्ट्या प्रभावित एवं व्यथित पक्षकार है तथा अपीलाधीन निर्णय से प्रार्थीगण के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। इसलिये अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध प्रभावित एवं व्यथित पक्ष अभिलिखित खातेदारान् अपीलांट्स/प्रार्थीगण को प्रश्नगत अपील प्रस्तुत करने की अनुमती प्रदान की जानी न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत् इजाजत अपील अन्तर्गत धारा 96 सी. पी सी. मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण/अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.09.2024 एवं 12.05.2025 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने की न्यायहित में इजाजत प्रदान की जाने की कृपा करें।

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.09.2024 व तहसीलदार महोदय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.05.2025 के बाद दिनांक 21.05.2025 को अपीलांटस के साथ मौके पर अन्य अजनबी क्रेतागण आये तथा वादग्रस्त आराजी का मौका मुआयना करने लगे, जिनको अपीलाटस/खातेदारान् ने आने का कारण पूछने पर हणमान सिंह ने बताया कि "नामान्तरकरण सख्या 829 दिनांक 12.11.1999 को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है. जिससे आप लोगों का नाम हटकर पूर्व के खातेदारान् के नाम अंकन होना है। तथा अपीलांट्स को ऐलानियां धमकी दी कि इस भूमि से तुम कब्जा खाली करो, तुम्हारा इसमें कोई लेना–देना नहीं है। हमने आदेश करवा लिया है। यदि कब्जा खाली नहीं करोगे तो हम लट्ठ के जोर से खाली करवा लेंगे।" रेस्पोंडेंट संख्या 2 द्वारा बताये अनुसार तहसीलदार महोदय नीम का थाना के न्यायालय में प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 22.05.2025 को आवेदन किया, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 22.05.2025

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

को ही प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.09.2024 के बारे में दिनांक 22.05.2025 को जानकारी होने पर अविलम्ब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की, जो दिनांक 23.05.2025 को प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की जा रही है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.09.2024 की अपील जानकारी दिनांक 22.09.2025 से अविलम्ब अन्दर अवधि प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण/अपीलांटस् का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई सदभावित देरी को क्षमा की जाकर अपील को अन्दर अवधि शुमार की जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अतः अपील अपीलांट्स प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.09.2024, जो न्यायालय जिला कलैक्टर, नीम का थाना द्वारा अपील संख्या 122/2023, उनवानी छोटी देवी व अन्य बनाम सुरजा व अन्य एवं न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) नीम का थाना, जिला सीकर निर्णय दिनांक 12.05.2025 को निरस्त/खारिज फरमाया जावें। अन्य अनुतोष/निर्देश जो हितकर अपीलांट्स हो, सादर अता फरमाये जावें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के अधिवक्ता ने दौरानें बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने न्यायालय जिला कलक्टर नीमकाथाना हाल जिला सीकर में ग्राम गोविन्दपुरा (नया नगर) ढाणी नवोडी सन् 1964 में ग्रामदानी ग्राम घोषित हुआ था। वर्णित भूमि खसरा नम्बर 641, 642, 643, 632, 633 कुल किता 5 कुल रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 631 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 397 नया जिनके वर्तमान में नये खसरा नम्बर 414, 415, 419, 420, 398, 399, 400 है वाके ढाणी नवोडी तन गोविन्दपुरा में अवस्थित है, सन् 1991 में ग्रामदान से पृथक हो गयी जिसके फलस्वरूप ग्रामदान की समस्त भूमियां ग्रामदान घोषित होने से पूर्व जिन व्यक्तियों की खातेदारी में अंकित थी उसी खातेदार के नाम ग्राम अधिनियम 1971 की धारा 37 (क) के तहत उन्हीं खातेदारों के नाम से खातेदारी में अंकन किया जाकर अमल किया जाना कानूनन आवश्यक था लेकिन विवादित भूमि में अपीलान्ट्स के पिता जयनारायण व दल्लाराम के नाम ग्रामदान घोषित होने के तुरन्त पूर्व खातेदारी में जो 1/4 हिस्सा अंकित था, को प्रश्नगत नामान्तकरण के जरिये कतई अवैध, अनुचित और अन्यायपूर्ण तरीके से काल्पनिक आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में 1/16 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 6 के पिता के हक में हिस्सा 1/16 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 7 के हक में 1/8 हिस्सा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही और राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति देखे बिना ही अपीलान्ट के नाम खातेदारी दर्ज करने के बजाय रेस्पोडेन्टस के पक्ष में अंकित कर दी गयी। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय आदेश नामान्तरकरण संख्या 829 दिनांक 12.11.1999 ग्राम गोविन्दपुरा को निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीम का थाना हाल जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.09.2024 द्वारा अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीम का थाना द्वारा पारित आदेश नामान्तरकरण संख्या 829 दिनांक 12.11.1999 ग्राम गोविन्दपुरा को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीम का थाना को निर्णय की प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया गया कि अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान का गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये। न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) नीम का थाना, जिला सीकर ने जिला कलक्टर नीम का थाना हाल जिला सीकर के पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.09.2024 की पालना में प्रकरण दर्ज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.05.2025 द्वारा पटवारी हल्का गोविन्दपुरा को आदेश दिये गये कि ग्राम गोविन्दपुरा का नामान्तरकरण संख्या 829 दिनांक 12.11.1999 को अपास्त कराया जाकर, नामान्तरकरण संख्या 829 में दर्ज भूमि का नामान्तरकरण जमाबन्दी सम्वत 2021 से 2025 की जमाबन्दी अनुसार खातेदारों के नाम दर्ज कर फैसल कराने के आदेश पारित किये गये है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 11 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरानें बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीम का थाना हाल जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 12.09.2024 एवं तहसीलदार (भू0अ0) नीम का थाना

जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 12.05.2025 पारित गया है, जो विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन कर प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.09.2024 की जानकारी दिनांक 22.05.2025 को होते ही दिनांक 23.05.2025 को नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलान्ट् अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.09.2024 एवं 12.05.2025 से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पक्षकारों के मध्य विवाद नामान्तरकरण संख्या 829 दिनांक 12.11.1999 को खारिज करने को लेकर है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 प्रस्तुत अपील एवं रिमाण्ड प्रकरण में विवादित भूमि के खातेदारान काश्तकारान अपीलान्ट्स को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट्स द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 के कथनो को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट्स विवादित भूमि के खातेदारान काश्तकारान हैं। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीम का थाना हाल जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.09.2024 एवं तहसीलदार (भू0अ0) नीम का थाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.05.2025 निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) नीमकाथाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीम का थाना हाल जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.09.2024 एवं तहसीलदार (भू0अ0) नीम का थाना जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.05.2025 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) नीमकाथाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर